छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–13

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम / आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1. विभाग का नाम : वित्त तथा योजना विभाग
2. प्रभारी मंत्री का नाम : डॉ. रमन सिंह

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	1. श्री डी.एस. मिश्र
सचिव	:	1. श्री आर. एस. विश्वकर्मा
संयुक्त सचिव	:	1. श्री सी. जे. खत्री
	:	2. श्री श्रवण कुमार सारस्वत (09.08.2012तक)
	:	3. श्रीमती शहला निगार (21.06.2012से)
	:	4. श्री नारायण (20.04.2012से)
उप सचिव	:	1. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	2. डॉ. ए.के. सिंह
अवर सचिव	:	1. श्री चन्द्रशेखर ओंकार
	:	2. श्री राजभान सिंह
	:	3. श्री विक्रमराम भगत (09.08.2012तक)
	:	4. श्री राजेश श्रीवास्तव (21.08.2012से)
	:	5. श्री सी.पी. साहू
	:	6. श्री मुकुन्द गजभिये (19.06.2012से)
शोध अधिकारी	:	1. श्री प्रशांत लाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री ऋषभ पाराशर
	:	2. श्री रवि नेताम (09.08.2012तक)
	:	3. श्री आलोक राय (13.08.2012से)

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारीगण

1.	आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन	:	1. श्री अवध बिहारी (31.12.2012तक)
		:	2. श्री एच.पी. किण्डो (01.01.2013से)
2.	आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	:	1. श्री अवध बिहारी (31.12.2012तक)
		:	2. श्री एच.पी. किण्डो (01.01.2013से)
3.	आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	श्री बी. एस. अनंत
4.	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्री पी. सी. मिश्रा
5.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	1. श्री अमिताभ खंडेलवाल (31.03.2012तक)
		:	2. श्री नारायण (20.04.2012से)
6.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	1. श्री सी. जे. खत्री (21.06.2012तक)
		:	2. श्रीमती शहला निगार (21.06.2012से)
7.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	श्री मुदित कुमार सिंह
8.	सचिव, राज्य वित्त आयोग	:	1. श्री अवध बिहारी (31.12.2012तक)
		:	2. श्री एच.पी. किण्डो (01.01.2013से)

मण्डल/आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

1. छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	1. अध्यक्ष– माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष– श्री शिवराज सिंह
2. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	अध्यक्ष– माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
3. राज्य वित्त आयोग	:	1. अध्यक्ष – माननीय श्री अजय चन्द्राकर
	:	मनोनित सदस्य – डॉ.अशोक कुमार पारख
	:	सलाहकार – श्री एस.के. मिश्रा

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 05 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 06 से 30 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 31 से 35 तक
		4. संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	पेज 36
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 37 से 38 तक
		6. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पेज 39
		7. राज्य वित्त आयोग	पेज 40 से 41 तक
2.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. छ.ग.राज्य योजना मण्डल	पेज 42 से 52 तक
		2. संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पेज 53 से 62 तक
		3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	पेज 63 से 66 तक

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–एक

सामान्य जानकारी

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई । विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल है ।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयः–

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ 04 संभागीय कार्यालय, 28 कोषालय, 38 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :–

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है –

स. क.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान		प्रथम श्रेणी	01
02	अपर संचालक	37400–67000	8700	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	15600–39100	7600	प्रथम श्रेणी	06
04	उप संचालक	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	11
05	सिस्टम एनालिस्ट	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	46
07	प्रोग्रामर	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	30
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	126
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	9300–34800	4400	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5200–20200	2800	तृतीय श्रेणी	06

13	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	92
14.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	233
15.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	293
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	39
17.	वाहन चालक	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	10
18.	दफ्तरी	4750-7440	1400	चतुर्थ श्रेणी	33
19.	भृत्य	4750-7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	151
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर			07
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर			33
22.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर			35
योग					**1162**

1.4 मुख्य कर्त्तव्यः-

1.4.1 कोष प्रचालन :- राज्य के 28 कोषालयों तथा 38 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है । नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.2 कोष निरीक्षण :- राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :- राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है । प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग-1 की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है, जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :-राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है । राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वाह भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है ।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :- राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.11.2004 से प्रारंभ अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में कुल 77,972 शासकीय सेवक पंजीकृत है । शासकीय सेवकों तथा नियोक्ता के अंशदान की राशि प्रतिमाह केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को अंतरित की जाती है ।

1.5 उपलब्धियॉं :-

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :- वर्ष 2012-13 में माह दिसंबर, 2012 तक 5,969 पेंशन प्रकरण, 2,370 पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तथा 14,527 वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना :- वर्ष 2012-13 में माह दिसंबर, 2012 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 77,634 शासकीय सेवकों को पंजीकृत किया गया है ।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :- पेंशनर कल्याण कोष से पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदाय करने हेतु **51.10** लाख की राशि उपलब्ध करायी गई है ।

1.5.4 ई-कोष :- ई-कोष परियोजना की शुरूआत वर्ष 2005 में की गई । इस परियोजना के अंतर्गत महालेखाकार को कम्प्यूटर के माध्यम से आय-व्यय का मासिक लेखा भेजा जाता है ।

1.5.5 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :- ई-कोष के माध्यम से साख पत्र का कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से बजट आबंटन, व्यय राशि तथा आवश्यक साख सीमा की प्रविष्टि की जाती है ।

1.5.6 पेंशन भुगतान आदेश का कम्प्यूटरीकरण :- ई-कोष परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी पेंशनरों का पेंशन भुगतान आदेश कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाता है ।

1.5.7 शासकीय सेवकों का डाटाबेस :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों का डाटाबेस तैयार किया गया है । इस डाटाबेस को ई-पेरोल के माध्यम से लिंक कर शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान किया जाता है ।

1.5.8 ई-चालान :- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 से ई-चालान की सुविधा वाणिज्यकर विभाग में लागू की गई तथा वर्ष 2009 से इसे सभी विभागों हेतु लागू किया गया है । वर्तमान में यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, आई.सी.आई.सी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा प्रदाय की जा रही है । कुल राजस्व प्राप्तियों में ई-चालान के माध्यम से लगभग 41 प्रतिशत् राजस्व का संग्रहण किया जा रहा है ।

1.5.9 ई-पेमेन्ट :- राज्य के सभी नियमित शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान, वेंडर भुगतान तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है । वर्तमान में यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदाय की जा रही है ।

1.5.10 विभागीय निरीक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षण :- वर्ष 2012-13 में 04 संभागीय संयुक्त संचालक, 07 कोषालय तथा 06 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया । राज्य के शासकीय कार्यालयों में से 01 विभाग का आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया ।

1.5.11 लेखा प्रशिक्षण शाला :- वर्ष 2011-12 में लेखा प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कुल 487 परीक्षार्थी शामिल हुए ।

1.5.12 सूचना का अधिकार :- सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 196 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 196 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया गया ।

भाग–दो–बजट एक दृष्टि में–

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

(राशि ₹ हजार में)

मांग संख्या– मुख्य शीर्ष–2049 ब्याज संदाय			
स.क.	**योजना का नाम**	**वर्ष 2012–2013 हेतु प्रावधान**	**व्यय दिसम्बर 2012 तक**
01.	4192–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	12,63,10	12,86,84
02.	4198–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	38,61,00	38,03,41
03.	4209–शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	6,28,70	5,67,67
04.	6802–अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,00,00	0
योग–2049		**58,52,80**	**56,57,92**
मांग संख्या–06–2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ			
01.	6801 राज्य शासन का अंशदान	92,00,00	76,64,02
मांग संख्या 06–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन			
01.	2274–निदेशन एवं प्रशासन	8,61,25	3,07,25
02.	4307–संभागीय स्थापना	4,47,86	2,21,44
03.	3843–लेखा प्रशिक्षण शाला	40,64	21,86
04.	5697–कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1,80	0
05.	1026–खजाना स्थापना	20,30,90	11,75,01
योग–2054		**33,82,45**	**17,25,56**
मांग संख्या 06–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
01.	7000–पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	20,00	0
मांग संख्या 06–2885–उद्योगो और खनिजो पर अन्य परिव्यय			
01.	4843 – अधोसंरचना विकास निगम	5,30,00	0
मांग संख्या 48–2054– राजकोष और लेखा प्रशासन			
01.	7416 तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1,40,00	5,90
महायोग–		**191,25,25**	**150,53,40**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है । राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है । अत: इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार– सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग–पांच–अभिनव योजना

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई– पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया । इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाइल पर संदेश के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । 01 जुलाई 2012 से इस माध्यम से वेंडर खाते में सीधे राशि अंतरित की जा रही है । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में भी ई–पेमेंट के माध्यम से राशि का अंतरण किया जा रहा है ।

भाग–छ:– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

निरंक

भाग–सात– अन्य विवरण

7.1 जीवन बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे । किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा ।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है । इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया । परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है । उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है ।

कार्यालय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है । स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है । प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 (31 दिसबंर 2012 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते है।

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित हैं । संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		**356**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	
3	संयुक्त संचालक	02	02	0	
4	उप संचालक	07	03	04	
5	सहायक संचालक	24	16	08	
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	75	03	
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	..
8	अधीक्षक	01	01	0	..
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	..
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	..
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	..
13	सहायक संपरीक्षक	155	89	66	
14	लेखापाल	01	01	0	..
15	सहायक ग्रेड 2	13	13	0	..
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	01	06	..
17	सहायक ग्रेड 3	21	17	04	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारीप्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	..
19	वाहन चालक	0104	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है। 01 पद पर कलेक्टर दर से कार्यरत है।
20	भृत्य	22	14	08	..
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	
योग		**356**	**249**	**107**	..

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 10518 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें राज्य की 9734 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2011-12 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/11 को अवशेष	2011-12 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2011-12 में संपादित कार्य	31/03/2012 को अवशेष
244038	68201	312239	32825	279414

ब वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/2012 को अवशेष	2012-13 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2012-13 में संपादित कार्य (31.12.2011 तक)	31/12/2012 को अवशेष
279414	69761	349175	18889	330286

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2011-12 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ ₹ में
1	अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष	14.12
2	1/4/2011 से 31/3/2012 तक मांग	2.71
3	कुल मांग मार्च 2012 तक	16.83
4	कुल वसूली मार्च 2012 तक	1.18
5	दिनांक 31.3.2012 को अवशेष	15.65

ब. 2012-13 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ ₹ में
1	1/4/2012 को प्रारंभिक शेष	15.65
2	वर्ष 2012-13 की मांग माह दिसंबर 2012 की स्थिति में	2.08
3	कुल मांग दिसंबर 2012 की स्थिति में	17.73
4	कुल वसूली दिसंबर 2012 की स्थिति में	0.99
5	दिनांक 31.12.2012 को अवशेष	16.74

5. **संपरीक्षा प्रतिवेदन :-**

वर्ष 2011-12 एवं 2012-2013 माह दिसम्बर 2012 में विभिन्न संस्थाओं/निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1/4/11 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2011-12में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2011-12 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/2012 को अवशेष
64	548	612	525	87

ब वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1/4/2012 को अवशेष	2012-13 (माह दिसंबर 2012) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2012-13 में (माह दिसंबर 2012) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2012 को अवशेष
87	375	462	336	126

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 माह दिसम्बर 2012 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :-

अ वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2011-12	206968	11527	218495	1673	216808	18883817092

ब वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2012-13	216808	7104	223912	360	223552	20217285439

टीप:– राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से आपत्ति निराकरण संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष आपत्ति अधिक दृष्टिगत है।

7. **स्थानीय निकायों के आय–व्यय** –

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय–व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :–

अ वित्तीय वर्ष 2011–12की स्थिति में :–

आय 28017258270

व्यय 26553060515

ब. वित्तीय वर्ष 2012–13(दिसंबर 2012) की स्थिति में

आय 24701388164

व्यय 13673251143

अंकेक्षण के समय एवं प्रतिवेदनों में लगातार आपत्ति लिये जाने के बाद भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में यथा समय आय–व्यय पत्रक तैयार करने एवं सक्षम स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का अभाव दृष्टिगत हुआ । साथ ही संतुलित बजट तैयार नहीं किये जाने की प्रवृत्ति यथावत बनी हुई है । बजट प्रावधानों से अधिक व्यय सामान्यत: पाया गया । बजट पुनर्विनियोजन करके नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ ।

8. प्रभक्षण :–

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :–

दिनांक 31.12.2012 तक प्रकरणों की संख्या	प्रकरण में सन्निहित राशि
2013	74133669

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्षमें प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका क.	विवरण	राशि
1	2	3	4	5	6
1	ग्रा.पं. जनकपुर	09–10 से 10–11	12	पूर्व सरंपच/सचिव द्वारा रोकड़ बही प्रभार में नही दिए जाने से संभावित प्रभक्षण	2228395
2	ग्रा.पं. गोधौरा	09–10 से	10	पूर्व सरपंच/सचिव द्वारा रोकड़ बही प्रभार में नहीं दिये जाने से	1055600

		11–12		संबंधित आहरित राशि का संभावित प्रभक्षण	
3	न.पं. दंतेवाडा	2010–11	–	दुकान भवन किराया एवं जलकर की वसूल की गई राशि नगर पंचायत निधि में कम जमा कर प्रभक्षण	46747
4	विघटित ग्राम पंचायत बगीचा, नगर पचांयत बगीचा, जिला जशपुर	2003–04 से 2008–09	–	विघटन दिनांक को अवशेष राशि ₹ 645562.14 के विरूद्ध ₹ 331230.00 को नवगठित नगर पंचायत बगीचा के खाते में हस्तांतरित किया गया शेष ₹314329.14 का हस्तांतरण न कर प्रभक्षण किया गया।	314329
5	विघटित ग्राम पंचायत लोटा, नगर पचांयत बगीचा, जिला जशपुर	2003–04 से 2008–09	–	विघटन दिनांक को अवशेष राशि ₹ 203538.26 के विरूद्ध ₹ 42216.00 को नवगठित नगर पंचायत बगीचा के खाते में हस्तांतरित किया गया शेष ₹161322.26 का हस्तांतरण न कर प्रभक्षण किया गया ।	161322
6	ग्रा0पं0 बनझोरका ज0पं0 गौरेला	09–10 से 10–11	12	पूर्व संरपंच द्वारा राशि नही सौंपा जाना	439708
7	ग्राम पंचायत बरीडीह जनपद पंचायत कोरबा	2004–05 से 2011–12	–	रॉयल्टी में संग्रहित राशि को कैश–बुक में दर्ज नहीं करके प्रभक्षण किया गया।	30000
8	जनपद पंचायत रायगढ़ जिला–रायगढ़	2008–09 से 2011–12	–	मु.का.पा. अधिकारी द्वारा स्वंय के पक्ष में चेक जारी कर कैश–बुक में प्रविष्टि नहीं किया जा कर प्रभक्षण किया गया।	58600
9	ग्रा0पं0 छतौना ज0पं0 मुंगेली	09–10 से 10–11	12	बैंक से आहरण कर रोकड़ पंजी मे दर्ज नही करना	204186
10	ग्राम पंचायत अंजोरा (ख)	05–06 से 10–11	5	रसीद बुक से संग्रहित राशि लेखे में न लिया जाना	114068
11	ग्राम पंचायत सरदा	2011–12	8	नगद राशि प्रभार में न सौंपना	709279
12	ग्राम पंचायत	2005–06	5	नव नियुक्त सरपंच को कार्यभार	636754

	बेलोदा	से 2008–09		नहीं सौंपा जाना	
13	ग्राम पांयत हसदा	2007–08 से 2011–12	7	नव नियुक्त सरपंच को कार्यभार नहीं सौंपा जाना	156554
14	ग्राम पंचायत रसौटा ज.पं. बलौदा	05–06 से 11–12	6	प्राप्त आय का प्रभक्षण किया जाना	28870
15	कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला–जशपुर	2008–09 से 2011–12	–	मण्डी शुल्क को राशि तथा निराश्रित शुल्क की राशि वसूल कर वास्तविक राशि से कम जमा किया गया। सम्पूर्ण राशि जमा नहीं किया गया तथा निहित राशि का प्रभक्षण किया गया।	22279
16	ग्रा.पं.जुगदेही	2008–09 से 2010–11	13	बैंक से आहरित राशि रोकपुस्त में प्रविष्टि न किया जाकर संभावित प्रभक्षण	37000

9. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है । ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2011–12 की स्थिति में :–

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि
1	अधिभार आरोप पत्र	34	2730459	1	33	873296
2	अधिभार सूचना	1	1011300	.	.	.
3	अधिभार आदेश	1	33600	.	.	.
4	मांग प्रमाण पत्र	2	48209	.	.	.

ब. वित्तीय वर्ष 2012-13 (दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2012) की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि
1	अधिभार आरोप पत्र	40	17612887	.	.	.
2	अधिभार सूचना	1	2452	.	.	.
3	अधिभार आदेश	.	.	.	.	.
4	मांग प्रमाण पत्र	.	.	.	.	.

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/हानि संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका कमांक**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	न.पा.परिषद् सूरजपुर	06-07 से 07-08	23	शासन से प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय	16685821.00
2.	न.पा.परिषद् मनेन्द्रगढ़	09-10 से 10-11	29	ओम मार्केटिंग अम्बिकापुर को फवारे की राशि का संदिग्ध भुगतान	50000.00
3.	छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर	2004-05 से 2005-06	7	मांग से अधिक बाल पत्रिकाएं मुद्रण कराए जाने से क्षति	5897478.00
			10	अप्रचलित अनुपयोगी पुस्तकों के अपलेखन से क्षति	18008892.00
			13	गुणवत्ताहीन पेपर क्रय से क्षति	1504985.00
4.	नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा	2006-07 से 2008-09	14	संपति कर निर्धारण एवं वसूली के अभाव में विलोपन एवं करोड़ों रू. की आर्थिक क्षति	7273380.00
5.	नगर पालिका परिषद महासमुन्द	2008-09	11	बस स्टैण्ड संधारण व सुधार कर नीलामी राशि एवं ठेकेदार के लोक निर्माण कार्यो	82608.00

				पर दाण्डिक वसूली न करने से क्षति	
6.	नगर पंचायत बागबाहरा	2006–07 से 2008–09	11	गौरव पथ निर्माण कार्य हेतु प्राप्त द्वितीय निविदा में निगोशिएशन न करने से आर्थिक क्षति	527101.00
7.	नगर पालिका परिषद कोण्डागांव	2009–10 से 2011–12	16	अध्यक्ष/उपाध्याक्ष/अधिकारी /कर्मचारी के मोबाईल देयकों का अनियमित भुगतान	117780.00
8.	नगर पंचायत नारायणपुर	2011–12	12	मोबाईल टावर अनुमति नवीनीकरण नहीं होने से क्षति	101000.00
9.	जनपद पंचायत पंडरिया (मनरेगा)	2009–10 से 2011–12	9	स्कंध पंजी प्रविष्टि के अभाव में सामग्री का दुरूपयोग	1286882.00
10.	कृ.उ.मं.समिति राजनांदगांव	2009–10 से 2011–11	7	विलंब से जमा मण्डी शुल्क पर ब्याज की राशि वसूली योग्य	416433.00
11	जनपद पंचायत छुई खदान	2010–11	8	भौतिक लक्ष्य की स्थिति स्पष्ट न होने से दुरूपयोग संभावित	752000.00
12	न.पा.प. दीपका	2007–08 से 2009–10	6.5	SECL गेवरा के स्टॉफ क्वाटरों पर अनियमित छूट प्रावधान से क्षति	2627670.00
13.	न.पं. घरघोड़ा	2004–05 से 2010–11	12	गौरव पथ निर्माण पर निरर्थक व्यय	2323862.00
14	न0पं0 रतनपुर	2009–10 से 2011–12	18	शापिंग काम्पलेक्स की राशि वसूली न होने से क्षति ।	118886.00
			37	नौकायान शुल्क की नीलामी कम राशि मे स्वीकृत किये जाने से क्षति।	500000.00
15	न0पं0 तखतपुर	2010–11 से 2011–12	12	दूरसंचार टावरों के नवीनीकरण न कराये जाने से क्षति ।	60000.00
			15	वाहन क्रय मे विलंब से आर्थिक क्षति।	94408.00
16	न0पं0 बोदरी	2011–12	11	केकरिहा तालाब की नीलामी नहीं किये जाने से आर्थिक क्षति।	56100.00
			15	दूरसंचार टावर कम्पनियों से नवीनीकरण नहीं कराये जाने	70500.00

				से आर्थिक क्षति ।	
17	कृ0उ0मं0स0 पेण्ड्रा	2010–11 से 2011–12	13	निर्माण कार्य लागत पर उपकर कटौती न किये जाने से क्षति	37958.00
18	नगर पालिका परिषद सूरजपुर	2006–07 से 2007–08	23	शासन से प्राप्त आबंटन से अधिक व्यय	16685821.00
19	न0पं0 रतनपुर	2009–10 से 2011–12	18	शापिंग काम्पलेक्स की राशि वसूली न होने से क्षति ।	118886.00
			37	नौकायान शुल्क की नीलामी कम राशि मे स्वीकृत किये जाने से क्षति।	500000.00

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान दृष्टिगत अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	न.पा.परिषद् मनेन्द्रगढ़	2009–10 से 2010–11	16	नकली गहना निर्माण प्रशिक्षण में अनियमित भुगतान	191980.00
			17	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को पोस्ट पेड मोबाईल बिल का अनियमित भुगतान	208539.00
			18	पार्षद निधि से खेल सामग्री, जलाऊ लकड़ी, साउंड सिस्टम, क्रय पर अनियमित भुगतान	286361.00
2.	न.पा.परिषद् सूरजपुर	2006–07 से 2007–08	14	दैनिक रोजी में मस्टर रोल पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर अनियमित भुगतान	1278427.00
3.	ग्रा.पं. छिपछिपी	2009–10 से 2010–11	14	सामग्री तथा माल क्रय में अनियमित भुगतान	363483.00
4.	ग्रा पं बरहोरी	2009–10 से 2010–11	7	अधिक भुगतान	265604.00

5.	ग्रा.पं. इन्द्रपुर	2009–10 से 2010–11	20	प्राप्त आबंटन से अधिक व्यय	231098.00
6.	न.पा.प.दीपका	2007–08 से 2009–10	5	पार्षद निधि का SECL में विकसित आवासीय कॉलोनी में व्यय करने से राशि का दुरूपयोग	2317260.00
7.	ज.पं. धर्मजयगढ़	2006–07 से 2009–10	18	उपयंत्रियों को अनियमित निर्माण कार्य एजेंसी बनाये जाने से भुगतान अनियमित	4094726.00
8.	न.पा.प. दीपका	2007–08 से 2009–10	7	अभिनंदन/शुभकामना/हार्दिक बधाई के विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय	301000.00
9.	ग्राम पंचायत बगीचा	2003–04 से 2008–09	21	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	4094726ण्00
10.	ज.पं. करतला	2009–10 से 2010–11	3.3	योजनामद की ब्याज राशि कैशबुक में दर्ज नहीं	1140360ण्00
11	ज.पं. करतला	2009–10 से 2010–11	5.1	योजना मदों से अधिक व्यय	5285155ण्00
12	नगर पंचायत बाराद्वार	2010–11	13	विज्ञापन पर अनियमित व्यय।	103500.00
13	नगर पंचायत सरगांव	2009–10 से 2010–11	22	नगर पंचायत उद्घाटन पर व्यय।	108525.00
14	नगर पंचायत बोदरी	2011–12	20	जे0सी0बी0 से कच्ची नाली निर्माण एवं खुदाई कार्य का अनियमित भुगतान ।	188675.00
15	नगर पंचायत पथरिया	2010–11	25	विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित भुगतान ।	139300.00
16	नगर पंचायत रतनपुर	2009–10 से 2010–11	46	विज्ञापन प्रकाशन का अनियमित व्यय।	755530.00
			48	सामग्री क्रय भुगतानों में अनियमितता।	1308091.00
17	नगर पंचायत सकरी	2010–11	22	ठेकेदार को अनियमित अग्रिम भुगतान	300000.00

18	ग्रा0पं0 खोहा ज0पं0 बलौदा	2005–06 से 2011–12	19	सामग्री क्रय मे नियमों का पालन नहीं किये जाने से क्षति।	2118317.00
19	ज0पं0 बम्हनीडीह	2009–10 से 2010–11	18	वाहन किराया पर अनियमित व्यय।	340000.00
20	ग्रा0पं0 खोहा ज0पं0 बलौदा (मनरेगा)	2007–08 से 2011–12	06	कार्यक्रम अधिकारी के अनुशंसा के बिना मस्टररोल भुगतान।	1193687.00
21	ज.पं. बस्तानार	2009–10 से 2011–12	4	हार्दिक शुभकामना विज्ञापन पर व्यय	189500.00
			5	अध्यक्ष/सदस्यों को वाहन किराया का अनियमित भुगतान	137643.00
22	न.पा.प. कोण्डागांव	2009–10 से 2011–12	14	वाहन किराया का अनियमित भुगतान	232177.00
23	न.पं. बस्तर	2010–11	13	विज्ञापन प्रकाशन अनियमित भुगतान	141273.00
24	न.पं. छुईखदान	2010–11	13	नगर पंचायत के अधिनस्थ विभागों के कार्य संचालन प्रबंधन एवं मरम्मत कार्य ठेका का अनियमित एवं संदिग्ध भुगतान	733923.00
25	जिला पंचायत राजनांदगांव	2003–04 से 2010–11	14	विभिन्न योजनाओं के मदों के जमा राशि पर प्राप्त ब्याज राशि को अन्य मद पर अनियमित व्यय	11758341.00
26	जन. पंचा. बेमेतरा	2009–10 से 2010–11	12	व्यय आधिक्य	3128847.00
27	जन. पंचा. पण्डरिया (मनरेगा)	2009–10 से 2010–11	11	सामग्री क्रय का अनियमित भुगतान	579100.00
28	ग्रा.पं. सरदा	2005–06 से 2011–12	11	कैश बुक में व्यय प्रविष्टि का संदिग्ध भुगतान	785306.00
29	ग्रा.पं. घुघरीखुर्द	2003–04 से	8	निविदा आमंत्रित किए बगैर क्रय अनियमित	3871699.00

		2011–12			
30	छ.ग.पा.पु.नि. रायपुर	2004–05 से 2005–06	5	मुद्रण प्रेस को बिना बिल के अनियमित भुगतान	16809393.00
31	जिला शहरी विकास अभिकरण रायपुर	2000–01 से 2009–10	5	आबंटन से अधिक व्यय	2782770.00
			10	आबंटन से अधिक व्यय	2310000.00
			14	सांस्कृति भवन निर्माण पर अनियमित व्यय	1276000.00
			24	मिनीमाता/जनश्री समूह बीमा योजना का अधिक भुगतान	182975.00
32	न.पं. बागबाहरा	2006–07 से 2008–09	7	श्रमिकों को वेतन का अनियमित भुगतान	4418589.00
			14	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	97100.00
		2009–10 से 2010–11	8	दै.वे.भो. को अनियमित भुगतान	2994898.00
			36	अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	134000.00

12. **स्थापना संबंधी :–**

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	न.पा.परि.षद् मनेन्द्रगढ़	09–10 से 10–11	9	आवास किराया भत्ता के रूप में अधिक भुगतान	78235
			23	अवकाश नगदीकरण का अनियमित भुगतान	157101
2.	ज्योति हा.से. स्कूल कोरबा	2006–07 से 2010–11	4	5वे वेतनमान एवं क्रमोन्नत वेतनमान में अधिक वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक वेतन भुगतान	59004
3.	न.पा.प. दीपका	2007–08 से 2009–10	10.1	शासन निर्देशों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति	177642
4.	न.पं. कोतबा	27.09.08	34	उप अभियंता के पद पर	100033

		से 2010–11		अतिरिक्त नियुक्ति	
5.	न0पं0 बोदरी	2011–12	22	उप अभियंता से अग्रिम भुगतान की वसूली अपेक्षित।	210000
6.	न0पं0 पेण्ड्रा	2010–11 से 2011–12	12	संविदा नियुक्ति में नियमों का पालन नही।	219254
7.	न0पं0 भैरमगढ़	2010–11 से 2011–12	9	चिकित्सा देयक का अनियमित भुगतान	67569
8	न0पं0 अहिवारा	2008–09 से 2010–11	16	आरक्षण रोस्टर पालन के अभाव में सफाई कामगार की अनियमित नियुक्ति	1253856
9	ज.पं. छुईखदान	2010–11	7	आयुर्वेदिक वैद्य की अनियमित नियुक्ति	223052
10	न0पं0 बागबाहरा	2006–07 से 2008–09	9	सफाई कामगार की अनियमित नियुक्ति से	187250
			10	अनियमित अनुकंपा नियुक्ति से वेतनभत्तों की वसूली योग्य राशि	163077
			17	पदोन्नति शिक्षाकर्मी की अनियिमत वेतन निर्धारण से	58861

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	ग्रा.पं. परसगढ़ी	2009–10 से 2010–11	14	शौचालय निर्माण का अनियमित भुगतान	150825
			16	सामग्री क्रय तथा माल क्रय में अनियमितता	486371
			7	सामग्री क्रय तथा माल क्रय में	279722

				अनियमितता	
2.	ग्रा.पं. बारी	2009–10 से 2010–11	16	शौचालय निर्माण में अनियमित भुगतान	204502
3.	न.पा.परि.षद् मनेन्द्रगढ़	2009–10 से 2010–11	26	मुस्लिम कब्रीस्तान में शेड निर्माण कार्य में बिना तकनीकी स्वीकृती के अनियमित भुगतान	55439
			27	शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण में तकनीकी स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान	53836
4.	न0पं0 पथरिया	2011–12	26	निर्माण कार्य देयकों पर संदिग्ध व्यय।	3207594
5.	कृ0उ0म0स0 बिलासपुर	2011–12	11	अपूर्ण दुकान निर्माण 23 दुकान अपूर्ण।	78000000
	न.पा.प.दीपका	2007–08 से 2009–10	11.9	बाईपास सड़क निर्माण उचित प्रक्रिया के पालन न किये जाने से	2264990
			11.11	शासनादेशों के विपरीत कार्य से	7312895
			11.12	तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय की राशि की सक्षम स्वीकृति प्राप्त न किया जाना	1537901
8.	ग्राम पंचायत गिधौरी	2008–09 से 2010–11	8.1	गली सीमेंट कांक्रीट रोड़ निर्माण कार्य में मूल्यांकन न होने से अनियमितता	159730
9.	न0पं0 पथरिया	2011–12	26	निर्माण कार्य देयकों पर संदिग्ध व्यय।	3207594
10.	ग्रा0पं0रसौटा ज0पं0 बलौदा (मनरेगा)	2007–08 से 2011–12	04	निर्माण सामग्री क्रय पर क्रय नियम का पालन नही।	510535
11	जनपद पंचायत बस्तानार	2009–10 से 2011–12	08	निर्माण कार्यो के संपादन हेतु ठेकेदारों को अनियमित भुगतान	3094920
12	न.पा.प. कोण्डागांव	2009–10 से 2011–12	13	सीसी रोड़ निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	117388
13	न.पा.प. कांकेर	2011–12	12	नवीन टैक्सी स्टैण्ड निर्माण में अधिक भुगतान	20375
14	न.प. अहिवारा	2008–09	21	निर्माण कार्य विलम्ब अवधि की	2908571

		से 2010–11		राशि वसूली योग्य	
15	न.पं. अम्बा.चौकी	2008–09 से 2010–11	19	निर्माण कार्य समय सीमा में न किए जाने से विलम्ब शुल्क	873536
16	न.पं. छुईखदान	2010–11	11	बिना निविदा दर एवं वित्तीय स्वीकृति के दुकान निर्माण अनयमित	642116
17	ग्रा. पंचा. सांकरा	2008–09 से 2010–11	10	निर्माण कार्य संबंधी अनियमितता	738131
18	कृ.उ.म.स. राजनांदगांव	2009–10 से 2010–11	14	रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के बिना निर्माण कार्य भुगतान अनियमित	661297
19	कृ.उ.म.स. कुरूद	2009–10 से 2010–11	22	निर्माण कार्य देयकों में कम काटी गई राशि वसूली अपेक्षित	24189

14 कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षित:-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :-

क	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	2	3	4	5	6
1	न0पं0 बिल्हा	2011–12	06	बकाया कर वसूली अपेक्षित।	663000
			17	प्रशासनिक व्यय की राशि अपेक्षित।	51752
2	न0पं0 रतनपुर	2009–10 से 2010–11	15,16,17	विभिन्न करों की वसूली अपेक्षित।	2772366
3	न0पं0 पथरिया	2011–13	14	करों की बकाया वसूली	1353948

				अपेक्षित।	
4	न0पं0 तखतपुर	2010–11 से 2011–12	11 (अ)	दुकान किराया की एक तिहाई राशि जमा न कराया जाना	353100
			11 (ब)	बस स्टैंड स्थित दुकानों की राशि जमा न कराया जाना	2990000
			19	करों की बकाया वसूली अपेक्षित।	3593319
5	न0पं0 पथरिया	2010–11	14	करों की बकाया वसूली ।	4200864
6	कृ0उ0म0स0 अकलतरा	2011–12	07	मण्डी शुल्क बकाया ।	33585628
			10	गोदाम किराया बकाया।	100740
			11	सहकारी विपणन संघ से ब्याज वसूली नही।	2959232
7	कृ0उ0म0स0 जयराम नगर	2011–12	06	मण्डी शुल्क बकाया ।	7839261
			07	मण्डी शुल्क पर ब्याज राशि	339498
8	न.पा.परिषद् मनेन्द्रगढ़	2009–10 से 2010–11	5	बकाया मांग की राशि वसूल न किया जाना	4824990
9	न.पा.परिषद् सूरजपुर	2006–07 से 2007–08	9	मवेसी बाजार ठेका बकाया	154235
10	ग्रा.पं. लालपुर	2009–01 से 2010–11	13	सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से आयकर, वाणिज्यकर कटौती न किया जाना	11989874
11	कृ.उ.म.स. घरघोड़ा	2007–08 से 2010–11	5	मण्डी शुल्क की वसूली अपेक्षित	10800612
12	न.पा.प. दीपका	2007–08 से 2009–10	06	बकाया मांग	2759000
13	न.पं. घरघोड़ा	2004–05 से 2010–11	06	बकाया मांग	2908767
14	न.पा.प. कोण्डागांव	2009–10 से 2011–12	4,5,6	विभिन्न करों की वसूली बकाया	2928565
15	न.पा.प. कांकेर	2012–13	5,6,7,8	विभिन्न करों की वसूली बकाया	38464510
16	न.पा.प. कुम्हारी	2011–12	7	समेकित कर बकाया	2416095

			8	संपत्ति कर	1300597
			10	जलकर	1015130
			11	दुकान नीलामी की बकाया राशि	1808000
			12	गुमटी किराया बकाया	46450
17	नगर पंचायत अहिवारा	2008–09 से 2010–11	8	टावर/रिले स्टेशन अनुमति एवं नवीनीकरण शुल्क	2229700
18	जनपद पंचायत बेमेतरा	2009–10 से 2010–11	14	दुकान बाजार भवन किराया वसूली	254685
19	कृ.उ.मं.स. दुर्ग	2011–12	11	दुकान किराया एवं अधिभार की राशि बकाया	1592868
20	कृ.उ.मं.स. राजनांदगांव	2009–10 से 2010–11	6	बकाया मण्डी शुल्क	326923
21	न.पा.प. तिल्दा नेवरा	2006–07 से 2008–09	9	पथकर ठेके की बकाया वसूली अपेक्षित	348717
			13	बकाया करों का ब्याज वसूली अपेक्षित	2553198
22	नगर पंचायत सिमगा	2005–06 से 2007–08	8	संपत्ति कर, समेकित कर बकाया	2502959
			9	भवन/दुकान किराया बकाया	224417
23	कृ.उ.मं.स. कुरूद	2009–10 से 2010–11	9	मण्डी शुल्क वसूली योग्य	22733381
	कृ.उ.मं.स. सरायपाली	2007–08 से 2008–09	5	बकाया मण्डी शुल्क	13174209
24	नगर पालिका परिषद कवर्धा	1998–99 से 2004–05 एवं 2008–09 से 2010–11	7	बस स्टैण्ड विकास शुल्क बकाया	347500
25	कृ0उ0म0स0 अकलतरा	2011–12	07	मण्डी शुल्क बकाया ।	33585628

15 दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है । जिससे निकायों के दायित्व में सतत् वृद्धि होती जा रही है दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	न0पं0 बिल्हा	2009-10 से 2010-11	45	विभिन्न आय स्रोतों से वसूली शेष ।	1739327
2.	न0पं0 रतनपुर	2009-10 से 2011-12	20	तालाब ठेका नीलामी की वसूली अपेक्षित ।	2552357
3.	न0पं0 कोटा	2010-11 से 2011-12	10	कोटसागर तालाब ठेका नीलामी की बकाया वसूली ।	209000
4.	न0पा0प0 चाम्पा	2011-12	14	मोबाइल टावर स्थापना के नवीनीकरण शुल्क की बकाया की वसूली ।	190000
5.	न0पं0 सकरी	2010-11	14	दैनिक व साप्ताहिक बाजार ठेके की बकाया वसूली वांछित ।	93750
6.	न0पं0 पेण्ड्रा	2010-11 से 2011-12	08	दुकान किराया बकाया वसूली वांछित ।	258210
			09	तालाब लीज बकाया वसूली वांछित ।	617832
			27	बाजार बकाया राशि वसूली वांछित	86000
7.	कृषि विज्ञान केन्द्र सरकंडा बिलासपुर	2008-09 से 2011-12	6	योजनाओं की शेष राशि की वापसी अपेक्षित ।	693624
8.	ज0पं0 पथरिया	2011-12	15	कार्यशील पूंजी की बकाया वसूली ।	1757900
9.	कृ0उ0म0स0 अकलतरा	2011-12	11	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन मर्यादित जांजगीर से जमा मण्डी शुल्क पर	2959232

				ब्याज राशि वसूल नही किया जाना	
10.	कृ0उ0म0स0 पेण्ड्रा	2010–11 से 2011–12	09	विकास निधि जमा हेतु बकाया।	2849122
11.	कृ0उ0म0स0 जयराम नगर	2011–12	09	बोर्ड शुल्क बकाया	2096350
			10	सड़क निधि जमा हेतु बकाया।	6975176
12.	कृ0उ0म0स0 बिलासपुर	2011–12	09	सड़क निधि जमा हेतु बकाया।	7776170
13.	ज0पं0 बलौदा **(मनरेगा)**	2009–10 से 2011–12	09	मदान्तरण राशि वापस नही किया जाना।	300498
14.	ग्रा0पं0 नवापारा ब ज0पं0 बलौदा **(मनरेगा)**	2008–09 से 2011–12	04	सी.ई.ओ. द्वारा राशि वापस प्राप्त किया जाना।	123558
15.	न.पा.परिषद् सूरजपुर	2006–7 से 2007–08	11	भू–भाटक राशि का शासकीय निधि में जमा अपेक्षित	1541768
16.	रो.क.स./जी.दी.स. सिविल अस्पताल खरसिया	04.02. 1996 से 2011–12	9	शासकीय योजनाओं हेतु अग्रिम वितरण	1629700
17.	नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा	2006–07 से 2008–09	24	आयकर/वाणिज्य कर कटौती कर जमा न किया जाना	100623 843845
			25	खनिज रायल्टी कटौती जमा का अभाव	1748305
18.	नगर पंचायत सिमगा	2005–06 से 2007–08	14	रायल्टी कटौती जमा का अभाव	379010
19.	नगर पंचायत धमधा	2010–11 से 2011–12	15	गणना त्रुटि से अधिक भुगतान	8070
20.	नगर पंचायत छुई खदान	2010–11	19	फण्ड विचलन (अन्य मद से व्यय)	1230263
21.	ग्राम पंचायत मटका	2003–04 से 2010–11	05	काम के बदले अनाज के जगह सामग्री के बदले अनाज अनियमित	59722

22.	नगर पंचायत नारायणपुर	2012–13	09,10,11	विभिन्न ठेकों की बकाया राशि वसूल नहीं किया जाना	84955
23.	नगर पंचायत कोण्डागांव	2009–10 से 2011–12	07,08,09	विभिन्न ठेकों की बकाया राशि वसूल नहीं किया जाना	311000

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

वित्तीय वर्ष 2011–12 में 293 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 1002 वर्षो के अंकेक्षण किया गया एवं वर्ष 2012–13 में 204 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 843 वर्षो के अंकेक्षण किया गया।

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्राय: प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा रू 2,500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है ।

प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है जिसका विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1	ग्रा0पं0 बनझोरका ज0पं0 गौरेला	2009–10 से 2010–11	12	पूर्व संरपंच द्वारा राशि नहीं सौपा जाना ।	439708
2	ग्रा0पं0कौवाताल ज0पं0 मस्तुरी	2009–10 से 2010–11	09	निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखा जाना।	590527
3	ग्रा0पं0 अमोरा ज0पं0 पथरिया	2010–11 से 2011–12	15	निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखा जाना।	258096
4	विघटित ग्राम पंचायत बगीचा नगर पंचायत बगीचा, जिला–जशपुर	2003–04 से 2008–09	–	विघटन दिनांक को अवशेष ₹ 645562.14 के विरूद्ध ₹ 331230.00 को नवगठित नगर	314329

				पंचायत बगीचा के खाते में हस्तांतरित किया गया। शेष ₹ 314329.14 को हस्तांतरित नहीं कर उक्त राशि का प्रभक्षण किया गया।	
5	विघटित ग्राम पंचायत लोटा नगर पंचायत बगीचा जिला–जशपुर	2003–04 से 2008–09	–	विघटन दिनांक को अवशेष ₹ 203538.26 के विरूद्ध ₹ 42216.00 को नवगठित नगर पंचायत बगीचा के खाते में हस्तांतरित किया गया। शेष ₹ 161322.26 को हस्तांतरित नहीं कर उक्त राशि का प्रभक्षण किया गया।	161322
6	ग्रा.पं.पावद्वार	2009–10 से 2010–11	15	विविध मदों में प्राप्त आबंटन राशि से अधिक व्यय	234378
7	ग्रा. पं. गोपालपुर	2005–06 से 2010–11	22	पावती अप्राप्त	195000
8	ग्राम पचांयत झीट, ज.पं. पाटन	2003–04 से 2011–12	11	नगद भुगतान राशियों के पावतियों का अभाव	575403
9	ग्राम पचांयत हसदा, ज.पं. बेरला	2007–08 से 2011–12	07	बर्हिगामी सरपंच द्वारा प्रभार न सौपे जाने से दुरूपयोग	156554
10	ग्राम पचांयत पतोरा, ज.पं. बेरला	2008–09 से 2011–12	07	ग्राम पंचायत निधि को सरपंच के व्यक्तिगत खाता में जमा करने बाबत्	594540
11	ग्राम पचांयत सरदा, ज.पं. बेरला	2005–06 से 2011–12	08	भूतपूर्व सरंपच द्वारा नगद राशि का प्रभार में जमा में नहीं दिया जाना अनियमित	709279
12	ग्राम पचांयत पारापुर,	2008–09 से	16	सीमा से अधिक नगद रखा जाना	153445

		2011–12			
13	ग्रा0पं0 छतौना ज0पं0 मुंगेली	2009–10 से 2010–11	09	निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखा जाना	207795
14	ग्राम पंचायत बरीडीह जनपद पंचायत कोरबा	2004–05 से 2011–12	–	पूर्व सरपंच द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला/ प्राथमिक शाला भवन निर्माण राशि प्रभार में नही दिया जा कर प्रभक्षण किया गया।	93750
15	ग्राम पंचायत लोटा	2003–04 से 2008–09	20	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	2159988
16	ग्राम पंचायत चांपा	2004–05 से 2010–11	14.2	मूलभूत योजना मद राशि का संभावित दुरूपयोग	435249
17	ग्रा पं भगवानपुर	2009–10 से 2010–11	8	नगद हस्ते शेष अधिक रखा जाना	1975684
			8	नगद हस्ते शेष अधिक रखा जाना	1224875
18	ग्रा.पं. जनकपुर	2009–10 से 2010–11	16	नगद शेष अधिक रखा जाना	1768369
19	ग्रा.पं. बरबसपुर	2009–10 से 2010–11	13	निकाय निधि की नगद राशि का सम्भावित प्रभक्षण	156874
20	ग्राम पंचायत सिहावा, ज.पं. नगरी	2009–10	04	आरोपित कर मांग वसूली एवं बकाया	123916
21	ग्राम पंचायत जुगदेही, ज.पं. कुरूद	2008–09 से 2010–11	15	मध्यान भोजन सामग्री क्रय पर	30000
			16	अभिनंदन विज्ञापन पर अनियमित व्यय	23500

17. राजस्व मांग वसूली :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2012–13 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी । विभिन्न संपरीक्षित वर्षो तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2011–12 में राशि ₹ 728090498.00 तथा वर्ष 2012–13 में राशि ₹ 365727306.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक) वसूली हेतु शेष थी ।

18. अग्रिम :-

अ. वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल ₹ 236792016.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल ₹ 43408725.00 समायोजन /वसूली हेतु शेष है ।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों कें विभिन्न वर्षो में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	समायोजन हेतु शेष राशि
1	ज0पं0गौरेला	2009-10 से 2010-11	25	1966822
2	नगर पालिका परिषद चांपा	2011-12	30	1810604
3	न.पा.परिषद् मनेन्द्रगढ़	2009-10 से 2010-11	-	224000
4	कृषि विज्ञान केन्द्र बैकुन्ठपुर	2011-12	-	777684
5	रो.क.स./जी.दी.स. सिविल अस्पताल खरसिया	04.02.1996 से 2011-12	-	1237009
6	ग्राम पंचायत चांपा	2004-05 से 2010-11	-	1242009
7	न.पं. बगीचा	09.09.2008 से 2010-11	-	535500
8	पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर	-	-	1279712
9	जिला पंचायत बिलासपुर	2009-10 से 2010-11	16	699050
10	ज.पं. करतला	2009-10 से 2010-11	-	317200

19. ऋण :-

अ. वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल ₹ 2088113605.00 ऋण शेष थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल ₹ 525054069.00 ऋण शेष है ।

20. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन / विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल ₹ 10513707726.00 अवशेष होना पाया गया । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2012-13 (दिनांक 01.04.12 से 31.12.2012) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल ₹ 2089609488.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल ₹498941964.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 (दिनांक 01.04.11 से 31.12.2012) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल ₹ 185796750.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

भाग - दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 15.28 करोड़ आबंटित किया गया । आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक कुल ₹ 6.72 करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग - तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है । इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया ।

3. अंकेक्षण के दौरान कटौती :-

स्थानीय निकायों में आवासीय संपरीक्षा के समय देयकों में अनियमितताओं एवं त्रुटियों के फलस्वरूप अंकेक्षण द्वारा विभिन्न देयकों से ₹ 400264.00 का कटौत्रा मान्य किये गये ।

---**000**---

संचालनालय संस्थागत वित्त

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना ।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य ।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य
4. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का संधारण ।
5. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य ।
6. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन ।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूंकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे । संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ाँचा :–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं है ।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	–	01
2.	अतिरिक्त संचालक	37400–67000+Gr.Pay 8700	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	15600–39100+Gr.Pay 7600	01	–	01
4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100+Gr.Pay 5400	01	01	–
5.	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	9300–34800+Gr.Pay 4300	01	–	01
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9300–34800+Gr.Pay 4300	01	01	–
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200+Gr.Pay 2800	01	01	–
8.	लेखापाल	5200–20200+Gr.Pay 2400	01	–	01
9.	सहायक वर्ग–2	5200–20200+Gr.Pay 2400	01	01	–
10.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200+Gr.Pay 2200	03	03	–
11.	सहायक ग्रेड–III	5200–20200+Gr.Pay 1900	02	02	–
12.	ड्रायवर	5200–20200+Gr.Pay 1900	02	02	–
13.	भृत्य	4750–7440 +Gr.Pay 1300	02	02	–
14.	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01	–	01
15.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	–	01
	योग–		**20**	**14**	**06**

भारतीय रिजर्व बैक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ है तथा वर्तमान में संचालक के पद पर कार्यरत है । प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेनोग्राफर वर्ग–3, सहायक ग्रेड–2 तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं ।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत विक्रा

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख ₹ में) (31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्तों आदि #01	40.20	25.10	15.10
02	मजदूरी #02	1.50	0.24	1.26
03	यात्रा भत्ता #03	9.00	2.91	6.09
04	कार्यालय व्यय #04	9.35	3.22	6.13
05	आशिक्षण #05	1.00	0.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	1.00	0.00	1.00
07	अनुरक्षण पर व्यय #24	1.00	0.00	1.00
08	वाहनों का क्रय # 34	0.00	0.00	0.00
	योग–	63.05	31.47	31.58

<u>ब.</u>

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
(आंकडे लाख ₹ में) (31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	700.00	0.00	700.00

<u>स.</u>

06–2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
60–अन्य
101–किसानों के लिए ऋण राहत योजना
0101–राज्य आयोजना (सामान्य)
8671–लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना
13–आर्थिक सहायता
001–प्रत्यक्ष सहायता
(आंकडे लाख ₹ में) (31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना	100.00	0.00	100.00

- **यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट**

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
6725–यूरोपियन कमीशन
(आंकडे लाख ₹ में) (31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	10.00	2.61	7.39
02	यात्रा भत्ता #03	15.00	0.15	14.85
03	कार्यालय व्यय #04.009 सूचना प्रौद्योगिकी	25.00	2.85	22.15
04	प्रशिक्षण #05.001 अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण	15.00	0.00	15.00
05	अनुरक्षण कार्य #24	1.00	0.00	1.00
	योग	66.00	5.61	60.39

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ:–

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्वि हुई है। मार्च, 2012 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 984, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 473 एवं शहरी क्षेत्रों में 524 कुल 1981 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्च 60% के विरूद्ध मार्च 2012 में 53.20% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्च 40% के विरूद्ध सितम्बर, 2012 में 49.80% हो गया है कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्च 18% के विरूद्ध सितम्बर, 2012 में 1968% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम सितम्बर, 2011 में ₹ 6205.94 करोड़ के विरूद्व सितम्बर, 2012 में ₹ 7837.29 करोड़ हुआ है । यह वृद्वि 26.29% है । सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम सितम्बर, 2011 में ₹ 6864.18 करोड़ के विरूद्ध सितम्बर, 2012 में ₹ 8173.45 करोड़ हुआ है, जो कि 19.07% अधिक है । कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्च 10% के विरूद्ध सितम्बर, 2012 में 10.35% हुआ है।
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले वाणिज्यिक बैंको के बीच बंटे हुएं हैं । अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है । जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख

योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है । शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है । राज्य निर्माण के बाद लगातार पांचवें वर्ष भी स्टेट क्रेडिट प्लान 2012-13 तैयार किया गया जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है ।

भाग-4

बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :-

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं । इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं । ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को ₹ 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से जनवरी, 2013 की स्थिति में ब्रिस्क खाते में ₹ 42,74,319.00 जमा है ।

भाग-5

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ अमले की जानकारी :-

क्र.	नाम	पदनाम	रिमार्क
1	श्री नारायण	अतिरिक्त संचालक प्रभारी संचालक	
2	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग-2	
3	कु. ज्योति अग्रवाल	प्रोग्रामर सह सिस्ट.एड.	
4	श्री महेश कुमार शर्मा	सहायक ग्रेड-2	
5	कु. पायल यदु	स्टेनोग्राफर वर्ग-3	
6	श्री संजय श्रेय	डाटा एण्ट्री आपरेटर	
7	श्री मुकेश कुमार	डाटा एण्ट्री आपरेटर	
8	श्री घनश्याम प्रसाद सिन्हा	डाटा एण्ट्री आपरेटर	
9	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड-3	
10	श्री तेनसिंह विनायक	सहायक ग्रेड-3	
11	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	
12	श्री रामफल निषाद	वाहन चालक	
13	श्री बैशाखू राम कोराम	भृत्य	
14	श्री भूषण लाल धर्मा	भृत्य	

---000---

संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज, छत्तीसगढ़ रायपुर

भाग – 1

सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज विभाग संचालित है । प्रमुख कार्य अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है ।

अल्प बचत योजनाएं

1. किसान विकास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना
8. लोक भविष्य निधि खाता

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट एम.पी. के के.बी. बाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पीपीएफ एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख रेख में जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में लक्ष्य 200 करोड़ प्रस्तावित किया गया था, जिसके विरूद्ध अल्पबचत शुद्ध संग्रहण माह दिसम्बर 2012 तक 158 करोड़ हुआ है ।

---000---

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया । वित्त विभाग के अंतर्गत् गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य किये जाते है ।

वर्ष 2012-13 में कार्यालय की गतिविधियां :-

वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2012-13 संकलित कर निर्धारित रूप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2012-13 का तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा वर्ष 2013-14 के मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है ।

संगठनात्मक ढांचा :-

संचालनालय के लिये निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । संचालक के पद हेतु संयुक्त सचिव या उप-सचिव के समकक्ष अधिकारी जो भी संचालक, बजट होंगे, पदेन रूप से इस पद पर आसीन होंगे -

क	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-	-
2	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	7600
3	उप संचालक (वित्त)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	6600
4	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
5	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
6	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9300-34800	4300
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4300
8	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
9	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
10	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
11	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	5200-20200	2400
13	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	03	5200-20200	1900
14	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02	5200-20200	1900
15	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	4750-7400	1300

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2012–13)

31 दिसंबर, 2012 की स्थिति में

(राशि हजार में)

क्रमांक	**मुख्य शीर्ष**	**योजना क्रमांक**	**योजना का नाम**	**बजट आवंटन**	**वास्तविक व्यय**
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	3758	2291
2	2052	5338	राज्य वित्त आयोग	17500	17500
3	2052	6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	1660	0
योग				**22918**	**19791**

- **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2012 में प्राप्त प्रकरणों के कियान्यवन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	**निराकृत**	**अस्वीकृत**
03	03	–

–––**000**–––

छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य :-

सी0आई0डी0सी0 का गठन, कम्पनी अधिनियम के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत 26 फरवरी, 2001 को किया गया था । इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ । शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी ₹10.00 करोड़ रखी गयी है । मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास क्रियान्वयन, निर्माण संचालन, रखरखाव, प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रवर्तक, सलाहकार, प्रयोजक व प्रबंधन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा ।

(2) संगठनाात्मक ढॉचा :-

सी0आई0डी0सी0 में निम्नानुसार अमला कार्यरत् है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1.	प्रबंध संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3	प्रबंधक	2	-
4.	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	-

(3) क्रियाकलाप :-

विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनॉक 12.02.2013 की स्थिति में 1200 कर्मी विभागों/ निगमों/मंडलों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं ।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

(अ) सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹30.00 लाख है, जिसके विमुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(ब) सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि ₹1000.00 लाख में से अभी तक केवल ₹200.00 लाख विमुक्त किए गए है।

---000---

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट/चार, दिनांक 23.07.2011 द्वारा द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसमें श्री अजय चन्द्राकर, को अध्यक्ष एवं डॉ. अशोक कुमार पारख, को सदस्य मनोनित किया गया है ।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-6/2012/स्टा./चार, दिनांक 01.02.2012 द्वारा श्री एस.के. मिश्र, पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एल-8-9/2012/बजट/चार, दिनांक 20.04.2012 द्वारा श्री पी.पी. सोती, सदस्य राज्य वित्त आयोग को पदेन सलाहकार छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग नियुक्ति किया गया है ।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर के ज्ञाप क्रमांक 1123/एल-8-14/2011/वित्त/ब-4, दिनांक 26.07.2011, एफ 1113/2011/स्टा./चार, दिनांक 01.10.2011 एवं क्रमांक 1127/एल-14/2011/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 09.08.2012 द्वारा निम्नानुसार पदों की दिनांक 31.03.2013 तक के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	सचिव	1
2	संयुक्त सचिव	1
3	अनुसंधान अधिकारी	1
4	स्टेनोग्राफर-ग्रेड-एक	1
5	अधीक्षक	1
6	सहायक ग्रेड-एक	1
7	सहायक प्रोग्रामर	1
8	संगणक	1
9	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4
10	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	4
11	लेखापाल	1
12	सहायक ग्रेड-दो	2
13	सहायक ग्रेड-तीन	2
14	वाहन चालक	4
15	भृत्य	8
16	चौकीदार	1
17	फर्राश	1
18	स्वीपर	1

द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ''(झ)'' सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल-8-9/2011/वित्त/बजट/चार, दिनांक 23.07.2011 के द्वारा किया गया है । वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1373/एल-8-9/2011/वित्त/ बजट/चार, दिनांक 13.09.2011 में आयोग के संदर्भ बिन्दु (Term of Reference) अधिसूचित किये गये हैं । इस अधिसूचना के अनुसार आयोग को 01.04.2011 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31.07.2012 तक सौपना था । प्रथम राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों लागू रहने की अधिनिर्णय (Award) अवधि वर्ष 2011-16 थी । द्वितीय राज्य वित्त अयोग की सिफारिशों लागू रहने की अवधि को वर्ष 2012-17 तक अधिसूचना क्रमांक 1000/680/2112/ स्था/चार, दिनांक 15.06.2012 तथा अधिसूचना क्रमांक 1238/680/2112/स्था/चार, द्वारा बढ़ाया गया है । आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को अपनी अनुशंसायें 31.03.2013 तक सौपा जाना है । आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों लागू रहने की अवधि को एक वर्ष के लिए (वर्ष 2011-12 तक) बढ़ा दिया ।

छत्तीसगढ़ राज्य में 9,734 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत, 18 जिला पंचायत, एवं 169 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 32 नगर पालिका तथा 127 नगर पंचायतें है।

उद्देश्य :-

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थितीय की समीक्षा करने तथा राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों तथा सभी स्तरों के निकायों के बीच आंबटन को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करने के लिए निर्देश है । राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध मे अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है । आयोग का एक और महत्व पूर्ण कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में सुझाव देना है ।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को दिनांक 30.11. 2012 प्रस्तुत किया जा चुका है एवं अंतिम प्रतिवेदन 31.03.2013 के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा ।

---**000**---

राज्य योजना आयोग

भाग –1

विभागीय संरचनाः–

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग एवं राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेशक्रमांक 26/2001/योआसां/23 दिनांक 10 जनवरी 2001 द्वारा राज्य योजना मंडल का गठन किया। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 8–7/2010/23/वियो दिनांक 30.07.2010 द्वारा राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर ''राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़'' किया गया। वर्तमान में मान. मुख्यमंत्री जी आयोग के अध्यक्ष एवं मान. श्री शिवराज सिंह आयोग के उपाध्यक्ष हैं।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले की जानकारी परिशिष्ट–1 में दर्शाई गई है।

राज्य योजना आयोग के दायित्व

- राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का विनिर्माण
- राज्य के साधनों का मूल्यांकन करना और उसके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना।
- योजना की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- जिलों के उन क्षेत्रों में जिसमें विकास योजनाएं तैयार करना, राज्य की योजना के ढॉचे के अंदर उपयोगी माना जाए, ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना।
- उन कारणों का पता लगाना, जिसमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटें आती हो और राज्य में, क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना।
- योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनो की सिफारिश करना जो जरूरी है।

आयोग द्वारा कियान्वित कार्यक्रम

1. सहस्त्राब्द्धि विकास लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धियों की समीक्षा

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ एवं अंतिम अवस्था की राज्य स्थिति निम्नानुसार है:-

क.	विकास संकेतक	इकाई	11वी पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	11वी पंचवर्षीय योजना तक की उपलब्धियां	कॉलम 6 का संदर्भ वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	40.8	26.2	अनुपलब्ध	–
2.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	61	30	48	योजना आयोग प्रारूप
3.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म पर	335	126	269	योजना आयोग प्रारूप
4.	सकल प्रजनन दर (महिला 15-49वर्ष)	प्रति महिला	3.3	2.4	3.0	(SRS-2010)
5.	कुपोषण (0 से 3 वर्ष के बच्चें में)	प्रतिशत	52.1	26.1	अनुपलब्ध	-
6.	रक्ताल्पता (महिला 15-49 वर्ष)	प्रतिशत	57.5	28.8	57.5	योजना आयोग प्रारूप
7.	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं	989	999	991	जन-2011
8.	शाला त्याज्य दर	प्रतिशत - कुल प्राथमिक अपर प्राथमिक	46.81	10	5.55 6.19	(2009-10)
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	64.66	86.16	71.04	जन-2011
10.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	25.33	15.6	20.86	जन-2011
11.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि		Nov. 2007			2010-11
	1. कृषि	प्रतिशत	9.10	1.70	2.63	
	2. उद्योग	प्रतिशत	14.70	12.00	10.99	
	3. सेवाएं	प्रतिशत	6.80	8.00	11.77	
	योग	प्रतिशत	9.30	8.60	9.71	

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यय को अपेक्षा अनुसार बढ़ाकर सामाजिक संकेतकों यथा साक्षरता, शाला त्याज्य बच्चों को पुनः शाला में प्रवेश देने तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएं) में लक्ष्य के सापेक्ष में उपलब्धियॉं अधिक अर्जित की गई है ।

2. 12–वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) मे राज्य के लिए लक्षित सामाजिक संकेतक –

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 12–वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नानुसार सामाजिक संकेतको का लक्ष्य निर्धारित किया गया है –

क्र.	मद	इकाई	11वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि	12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	48	28
2.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म पर	269	122
3.	रक्ताल्पता (महिला 15–49 वर्ष)	प्रतिशत	57.5	28

3. 12–वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित विकास वृद्धि दर –

योजना आयोग, भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा 12–वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नानुसार सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रक अनुसार वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है –

क.	**मद**	**इकाई**	**भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य**	**राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	कृषि क्षेत्र	प्रतिशत	4.00	4.00
2.	उद्योग	प्रतिशत	9.60	11.00
3.	सेवाएं	प्रतिशत	9.60	11.60
	कुल	प्रतिशत	**8.80**	**10.00**

4. 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) :–

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11–वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) रूपये 53730.00 करोड़ का अनुमोदन किया गया था, जिसके सापेक्ष में परिव्यय 81.86 प्रतिशत किया गया है जैसा कि निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट होता है –

(करोड़ ₹ में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	प्रारंभिक योजना अनुमोदित राशि	पांचवर्षीं में अनुमोदित राशि	11वी पंचवर्षीय योजना व्यय	कॉलम 03 के सापेक्ष में व्यय प्रतिशत	कॉलम 04 के सापेक्ष में व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	4659.37	4237.32	216.69	90.94
2.	ग्रामीण विकास	4260.06	2508.45	1884.34	44.23	75.12
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	2149.79	2362.09	830.85	109.88
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	6613.51	5223.67	72.27	78.98
5.	ऊर्जा	1805.37	941.97	1313.46	72.75	139.44
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1054.65	990.53	121.53	93.92
7.	यातायात	7272.48	6382.00	4467.88	61.44	70.01
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3369.53	1525.06	1305.06	38.73	85.57
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1967.12	2039.34	244.33	103.67
10.	सामाजिक सेवायें	25568.96	29236.13	19927.01	77.93	68.16
11.	सामान्य सेवायें	336.36	479.96	232.68	69.17	48.48
	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	230.87	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**53730.00**	**57748.87**	**43983.37**	**81.86**	**76.16**

11–वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं परिव्यय राशि

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	प्रारंभिक योजना अनुमोदित राशि	11वी पंचवर्षीय योजना व्यय
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	4237.32
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	5223.67
3	यातायात	7272.48	4467.88
4	सामाजिक सेवायें	25568.96	19927.01
5	अन्य	11705.37	10127.49
	कुल	**53730.00**	**43983.37**

अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्द्धि विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल परिव्यय ₹ 43983.37 करोड़ के सापेक्ष में कृषि, सिंचाई, परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत क्रमश: 9.63, 11.88, 10.16 तथा 45.31 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है । शेष अन्य सभी क्षेत्रको में 23.03 प्रतिशत व्यय हुआ है । योजना के अंतर्गत केवल कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के अंतर्गत प्रारंभिक अनुमोदित राशि ₹ 1955.46 करोड़ के अनुमोदन के सापेक्ष में ₹ 4237.32 करोड़ (लक्ष्य से 216.69 प्रतिशत अधिक) व्यय किया गया है, जबकि अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रकों में अनुमोदित राशि से व्यय कम हुआ है।

3. 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्रकीय आबंटन

राज्य के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्तियो के संदर्भ में 12-वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रमुख क्षेत्रक अनुसार प्रस्तावित योजना राशि का विवरण निम्नवत है -

(करोड़ ₹ में)

क.	**प्रमुख क्षेत्रक**	**12वीं पंचवर्षीय योजना**	**कुल योजना का प्रतिशत**
1	**2**	**3**	**4**
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	8283.74	6.97
2.	ग्रामीण विकास	3668.52	3.09
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3313.50	2.79
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11952.26	10.06
5.	ऊर्जा	7337.03	6.17
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	1972.32	1.66
7.	यातायात	13017.31	10.95
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	2840.14	2.39
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	5206.92	4.38
10.	सामाजिक सेवायें	61260.26	51.54
11.	सामान्य सेवायें	0.00	0.00
	कुल बजटीय योजना	**118852.00**	**100.00**
	स्थानीय निकाय संसाधन	4421.00	
	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	8455.00	
	कुल योजना परिव्यय	**131728.00**	

4. राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं:–

वार्षिक योजना 2012–13 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा ₹ 21184.35 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए ₹ 2284.24 करोड़ ग्रामीण विकास हेतु ₹ 806.97 करोड़ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹ 2086.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 45% राशि ₹ 9578.85 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है, जैसा कि निम्न सारिणी में स्पष्ट है –

वार्षिक योजनाओं की क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं व्यय राशि का विवरण

(लाख ₹ में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2011–12			वार्षिक योजना वर्ष 2012–13	
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	क्षेत्रक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	162167.93	123001.44	75.85	228424.36	10.78
2	ग्रामीण विकास	49614.15	46838.76	94.41	80697.43	3.81
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	72848.50	71570.56	98.22	76146.20	3.59
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	204160.58	131713.29	64.51	208625.09	9.85
5	ऊर्जा	28690.40	49782.85	173.52	126355.83	5.96
6	उद्योग तथा खनिकर्म	25660.23	23223.37	90.50	26846.46	1.27
7	यातायात	144331.71	71283.52	49.39	274073.80	12.94
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	37522.86	31887.58	84.98	50525.37	2.39
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	61299.31	62970.77	102.73	67589.42	3.19
10	समाजिक सेवायें	839969.11	621684.40	74.01	957885.43	45.22
11	सामान्य सेवायें	44760.23	2373.44	20.36	21266.10	1.00
	योग	**1671025.01**	**1236329.98**	**73.99**	**2118435.49**	**100.00**

वार्षिक योजना में जनसंख्यानुपात प्रावधान

योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देश के संदर्भ में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में योजना के लिए संरक्षित वित्तीय संसाधनों का प्रवाह किया जा रहा है । वर्ष 2012-13 के अंतर्गत जनसंख्यानुपात के संदर्भ में अनुसचित जनजाति के लिए 34.73 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 11.49 प्रतिशत धनराशि का परिव्यय सुनिश्चित किया जा रहा है, जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट है -

जनसंख्या अनुपात में संसाधनों का वितरण

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वित्तीय प्रावधान (प्रतिशत)	
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	32.49	14.20
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	24.15	20.63
3	यातायात	33.95	11.49
4	सामाजिक सेवायें	35.68	9.79
5	अन्य	39.21	9.47
	योग	**34.73**	**11.49**

4. जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2013-14 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं दिसम्बर 2012 तक प्राप्त किया जाना है ।

5. संयुक्त राष्ट्र-भारत सरकार तथा राज्य शासन अभिसरण कार्यक्रम ₹

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं (यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों (महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर) में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण का यह कार्यक्रम दिसम्बर 2012 तक प्रभावी थी, जिसे 2013-17 की अवधि में अनवरत् चालू रखना प्रस्तावित है । कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :-

1. एकीकृत एवं सभी को जोड़ने वाली जिला योजना को अपनाना ।
2. सरकारी एवं अन्य संसाधनों का जिलों द्वारा अधिकतम उपयोग ।
3. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ीकरण।
4. मैनेजमेंट एवं योजना बनाने में मॉनिटरिंग का उपयोग ।

जिला योजना के संदर्भ में कार्यक्रम की उपलब्धियां :-

1. जिला स्तरीय प्रशासनिक, जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली से सम्बद्ध सभी अधिकारियों को विभिन्न चरणो में विभिन्न समयावधि में प्रशिक्षित किया गया है ।
2. जेंडर सब प्लान रायपुर एवं कोरबा जिला में आयोजित।
3. ग्राम/नगर (वार्ड) सूचक पत्रक का आकड़े संकलन हेतु महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों का चयन ।
4. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का चयन कर मानव संसाधन उपलब्ध कराकर जिला योजना पर तीन माह का प्रशिक्षण अक्टूबर 2011 से प्रारंभ किया गया है ।
5. प्लान प्लस पर प्रशिक्षण-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से महासमुंद जिले में अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
6. राज्य के 12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श हेतु एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन ।
7. 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार (पेसा पर अध्ययन)
8. परिणाम मूलक प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन ।
9. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर कार्यशाला का आयोजन ।
10. मीडिया कैपीसिटी बिल्डिंग पर कार्यशाला का आयोजन ।
11. जिला योजना के दिशा-निर्देशों पर कार्यशाला ।

भाग -दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2012-13

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2011-12	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2011-12	वर्ष 2011-12 का वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	**मांग संख्या-31, मुख्य लेखा शीर्ष-3451**				
	3686- राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	184.15 0.20	212.80 0.20	156.45 -	242.70 0.20
	योग :-	**184.35**	**213.00**	**156.45**	**242.90**
	6525- यूरोपियन कमीशन	1.00	1.00	0.48	45.00
	योग :-	**1.00**	**1.00**	**0.48**	**45.00**
2.	**मांग संख्या-60 मुख्य लेखा शीर्ष- 3451**				
	7282- जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	86.00	86.00	42.00	76.00
	योग :-	**86.00**	**86.00**	**42.00**	**76.00**

भाग –तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना – निरंक

भाग –चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग –पांच

अभिनव योजना

1. रायपुर, दुर्ग एवं जांजगीर-चांपा जिलों में भी विकेन्द्रीकृत जिला योजना, BRGF जिलों के अनुरूप पंचवर्षीय जिला योजना तैयार की जा रही हैं ।
2. विकेन्द्रीकृत जिला योजना के संदर्भ में प्रत्येक ग्राम एवं नगरीय निकायों के वार्ड अनुसार उपलब्ध संसाधनों की विवरणिका तैयार करने की पहल की जा रही है।

भाग –छः

प्रकाशन :–

1. वार्षिक योजना 2012–13 भाग–1 एवं भाग–2 का प्रकाशन योजना आयोग, भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है ।
2. 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु राज्य स्तरीय विचार विमर्श के आधार पर मानव विकास को समर्पित 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपागमन पत्र तैयार कर प्रकाशित किया जा रहा है।
3. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (जशपुर, कांकेर, कोरबा एवं सरगुजा) की 80 पंचायतों की 80 ग्रामों/ग्राम समूहो में 1600 न्यादर्श परिवारों का चयन कर योजना प्रक्रिया में पंचायत की भूमिका पर अध्ययन – आयोग द्वारा कराया गया।

भाग –सात

सारांश :–

राज्य योजना आयोग का प्रमुख दायित्व विभिन्न विकास विभागों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है। वार्षिक योजना 2012–13 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार व्दारा ₹ 21184.35 करोड़ के परिव्यय अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन के अंतर्गत जिला योजना तैयार करने की कार्यवाही की गई है।

---**00**---

परिशिष्ट–एक (1)

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ में स्वीकृत पदों की स्थिति
(31 जनवरी 2013 की स्थिति में)

क0	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा मनोनीत	1	
2	सदस्य	राज्य शासन द्वारा मनोनीत	2	
3	सदस्य सचिव	प्रथम श्रेणी	1	
4	विशेष सचिव/ उप सचिव	प्रथम श्रेणी	1	
5	सलाहकार	प्रथम श्रेणी	4	
6	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	2	
7	अवर सचिव	प्रथम श्रेणी	1	
8	शोध अधिकारी	प्रथम श्रेणी	4	
9	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	4	
10	लेखाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	1	
11	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	2	
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय श्रेणी	1	
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	1	
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	4	
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी	1	
16	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	2	
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	2	
18	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	1	
19	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी	4	
20	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	1	
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय श्रेणी	1	

क0	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**
22	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	2	
23	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	6	
24	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	4	
25	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय श्रेणी	1	
26	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ श्रेणी	4	
27	दफतरी	चतुर्थ श्रेणी	1	
28	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	11	
29	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	2	
30	वाटरमेन	चतुर्थ श्रेणी	1	
31	फर्राश	चतुर्थ श्रेणी	1	
	योग		**73**	
माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु				
1	विशेष सहायक	प्रथम श्रेणी	1	
2	निज सचिव	द्वितीय श्रेणी	1	
3	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	1	
4	सहायक ग्रेड – 02	तृतीय श्रेणी	1	
5	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	2	
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	3	
योग			**9**	
महायोग			**82**	

---**000**---

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–1

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यो को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गो के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 27 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के निष्पादन हेतु 17 संभाग है, जिनका विवरण **परिशिष्ट–2** में दर्शाया गया है ।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है । राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1.सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :-

(अ) औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम,1948)

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णत: अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श कार्यालय, महारजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है ।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते हैं ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविददों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । विगत विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया गया ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत शासन के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष **राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान** (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते हैं । इन अनुमानों को भी प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का **आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण** भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है । संचालनालय द्वारा वर्ष 2012-13 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 2009-10 (लेखा), 2010-11 (पु.अ.) एवं 2011-12 (आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया ।

2.4 सर्वेक्षण कार्य

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2012-13 में (जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012) की अवधि में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 69 वें दौर में **''झुग्गी बस्तियों के विवरण, पेयजल,स्वच्छता,स्वास्थ्य रक्षा एवं आवासीय स्थिति''** विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक किया गया है । जिसमें 69 वें दौर में 84 ग्रामीण तथा 78 नगर खण्डों के रूप में कुल 162, सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । माह दिसम्बर, 2012 तक 81 ग्रामीण तथा 76 नगरीय न्यादर्शो का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर शेष 05 न्यादर्शो का सर्वेक्षण कार्य जनवरी, 2013 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। 69 वें दौर के सर्वेक्षित 107 न्यादर्शो के डाटा एन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। (दिसम्बर, 2012 तक) ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 70 वें दौर (जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013) की अवधि में **''भूसंपत्ति एवं पशुधन धारित ऋण एवं निवेश कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन''** विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक किया जावेगा । इस हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 09-11 जनवरी, 2013 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया । 70 वें दौर हेतु 86 ग्रामीण तथा 56 नगरीय कुल 142 न्यादर्श आबंटित हैं ।

2.5 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य

जन्म और मृत्यु पंजीयन का कार्य भारत सरकार के **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** एवं **छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001** के प्रावधानों के तहत् किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव/कर्मी को उप-रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किया गया है तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप किया जा रहा है ।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की गई है । संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), अधिसूचित किया गया है । इसके अतिरिक्त उनके सहायता के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ के संयुक्त संचालक (जीवनांक) को संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), उप संचालक, (जीवनांक) को उपमुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं सहायक संचालक (जीवनांक) को सहायक मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किया गया है ।

प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए उनके अधीनस्थ क्षेत्रान्तर्गत संभागीय आयुक्त (राजस्व) को संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जिला कलेक्टर को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किये गये है । इसके अतिरिक्त राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अधिसूचित किया गया है ।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

औद्योगिक कामगारों के लिए खाद्य एवं सामान्य समूह से संबद्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मूल्य संकलन का कार्य विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाकर पत्रक मूलत: लेबर ब्यूरो शिमला संप्रेषित किये जाते है । लेवर व्यूरो शिमला द्वारा भिलाई केन्द्र के लिये मासिक एवं वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कर जारी किये जाते है ।

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2012-13 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण -2011-12

(2) छत्तीसगढ़ आय व्ययक संक्षेप -2012-13

(3) छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004-2005 से 2010-11(Q)

(4) छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन- 2010-11

(5) छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप 2010-11

(6) Chhattisgarh AT A GLANCE - 2011

(7) Economic and Purpose Classification of State Government Budget of Chhattisgarh 2009-10(A/C), 2010-11 (R.E.) & 2011-12 (B.E.)

(8) Gross Fixed Capital Formation by State Govt. Administrative of Chhattisgarh 2000-01 To 2009-10 & Central Government Administrative Department & Supra-Regional Sectors 2000- 01 to 2008-09

(9) Gross Fixed Capital Formation By State Govt. Departmental Commercial Undertakings and Non- Departmental Commercial Undertakings of Chhattisgarh 2001-02 to 2008-09

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ (सन् 1993-94) से नवम्बर, 2012 तक कुल ₹577.867 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी की गई है, जिसमें से राशि ₹ 570.25 करोड़ की लागत से 36658 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये । योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि 92.75 प्रतिशत तथा वित्तीय उपलब्धियॉ 98.68 प्रतिशत रही हैं।

(ग) बीस सूत्रीय कार्यक्रम का मासिक प्रबोधन पत्रक माह दिसम्बर, 2012 केन्द्र शासन को प्रस्तुत किया गया है ।

(घ) अन्य सर्वेक्षण कार्य :-

1. अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का सर्वेक्षण

भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं के सर्वेक्षण-द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दिया गया है। कुल 39901 पंजीकृत संस्थाओं में से 13386 (33-55%) संस्थाओं को विजिट कर 3930(9.85%) संस्थाओं की खोज कर सर्वे कार्य किया गया है । आंकड़ों का परिश्करण तथा प्रकाशन का कार्य शेष है, जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

2.रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण

वर्ष 2012-13 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के तृतीय चरण का आयोजन लेबर ब्यूरो के निर्देशन में सम्पादित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को उक्त सर्वेक्षण में शामिल किया गया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ मे सर्वेक्षण हेतु 164 ग्रामीण तथा 116 शहरी कल 280 चयनित इकाइयॉं आबंटित की गई है । उक्त सर्वेक्षण की कार्य अवधि 6 माह (अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013) निर्धारित की गई है । प्रदेश के समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

(ड.) कौशल विकास हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षणों हेतु नामांकित किया जाता है । वर्ष 2012 की अवधि में कुल 26 विषयों पर विविध स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये । राज्य स्तर पर 10 प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 530 अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हुये । केन्द्र शासन द्वारा आयोजित 16 पृथक-पृथक विषयों पर प्रशिक्षण सह-कार्यशाला एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें संचालनालय के 49 अधिकारी /कर्मचारियों ने भाग लिया ।

भाग-2

बजट विहंगावलोकन :-

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्यीय सांख्यिकी गतिविधियॉं के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आवंटन प्राप्त हुआ है :-

(लाख रूपये में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2012-13 वास्तविक व्यय (जनवरी, 2013)	वर्ष 2012-13 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्रस्ताव
1	**2**	**3**	**4**
आयोजनेत्तर			
1. राज्य सांख्यिकी संस्थान	816.56	1231.20	1255.60

2. जन्म-मृत्यु आंकड़ों का संकलन	76.97	165.03	174.56
3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	55.75	129.45	131.09
योग	**949.28**	**1525.68**	**1561.25**

भाग-3

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नानुसार राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित की जा रही है ।

योजना विवरण	वर्ष 2012-13 वास्तविक व्यय (जनवरी, 2013)	वर्ष 2012-13 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रस्ताव
1	2	3	4
राज्य-आयोजना			
6562 जन्म-मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	1.60	1.75	1.90
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	0.19	3.30	3.40
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	0.88	1.70	1.85
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
5501 जन्म-मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	6.30	14.35	21.60
7413 राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.00	1.1.0	1.10
केन्द्र क्षेत्रीय योजना			
5537 मृत्यु सांख्यिकी का विश्लेषण	0.00	1.50	1.50
7414 स्थानीय स्तर विकास हेतु मूलभूत सांख्यिकी	0.37	146.32	139.52
7497 छठवी आर्थिक गणना	14.05	401.00	401.00
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना			
6725 यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	0.69	20.00	20.00
योग	**24.08**	**591.02**	**591.87**

भाग-4

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग-5

अभिनव योजनाएँ

निरंक

भाग-6

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष- (2011-12) :-

प्रस्तुत वार्षिक प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है । यह प्रकाशन विगत विधान सभा के बजट सत्र वर्ष 2012 में माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है ।

2. आय व्ययक संक्षेप- (2012-13) :-

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया । विभाग द्वारा इस प्रकाशन को वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004-2005 से 2010-2011 (Q)

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान-सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल -प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

4. राज्य में कृषि विपणन (2010-11) :-

राज्य की कृषि उपज मण्डियों एवं उप मण्डियों में कृषि उत्पादों की आवक एवं विपणन से संबद्ध वार्षिक जानकारी इस प्रकाशन में प्रकाशित की गई, जो राज्य की सुदृढ़ कृषि विपणन व्यवस्था का द्योतक है।

5. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप (2010-11) :-

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है । राज्य /जिलों के संदर्भ में वर्ष 2006 से 2009 तक की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन हो सके ।

6. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में (2011) :-

उक्त प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित समंक एवं संकेतांक तथा जनगणना 2001 का अंतिम एवं 2011 का अनन्तिम के आधार पर ऑकड़े प्रस्तुत किये गये, जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन किया जा सके ।

7. राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण-वर्ष 2009-10 (लेखा), 2010-11 (पु.अ.) एवं 2011-12(आ.अ.)-प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष्य परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

<u>भाग-7 सारांश- निरंक</u>

परिशिष्ट –एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

(01-01-2013 की स्थिति में)

क्र.	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	**योग**	मुख्यालय	जिला	**योग**
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
2	अपर संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
3	संयुक्त संचालक	3	0	**3**	3	0	**3**
4	उपसंचालक	3	27	**30**	3	2	**5**
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक	13	0	**13**	06	0	**6**
6	सहायक संचालक योजना	0	27	**27**	0	0	**0**
7	सहायक संचालक सांख्यिकी	0	27	**27**	0	18	**18**
	तृतीय श्रेणी						
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	**158**	18	88	**106**
9	सहायक प्रोग्रामर	1	0	**1**	0	0	**0**
10	अन्वेषक/ खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	**179**	12	87	**99**
10	संगणक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	6	54	**60**	01	07	**08**
12	अधीक्षक	01	0	**01**	0	1	**01**
13	आशुलिपिक ग्रेड-2	01	0	**01**	0	0	**0**
14	आशुलिपिक ग्रेड-3	01	0	**01**	1	0	**1**
15	स्टेनोटायपिस्ट	04	18	**22**	0	0	**0**
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	**01**	1	0	**1**
17	के.पी.ओ.	02	0	**02**	0	0	**0**
18	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	**01**	0	0	**0**
19	सहायक ग्रेड-1	04	07	**11**	01	02	**03**
20	सहायक ग्रेड-2	05	27	**32**	04	7	**11**
21	सहायक ग्रेड-3	20	61	**81**	02	18	**20**
22	वाहन चालक	01	7	**8**	01	5	**06**
23	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि)	03	20	**23**	03	6	**09**
	चतुर्थ श्रेणी						
24	जमादार	1	0	**01**	01	0	**01**
25	भृत्य	15	61	**76**	12	28	**40**
26	चौकीदार	02	0	**2**	02	0	**02**
27	स्वीपर/फर्राश/वाटरमेन, (कलेक्टर दर)	05	36	**41**	05	17	**22**
	योग	**145**	**659**	**804**	**78**	**286**	**364**

परिशिष्ट–दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण
2. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की परिनिरीक्षण एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
3. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
4. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. जिलेवार सामाजार्थिक विकास सूचकांक 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
5. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, विक्रय एवं संधारण
6. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. छठवीं आर्थिक गणना 2. स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी 3. रोजगार–बेरोगार सर्वेक्षण 4. अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण
7. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
8. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
9. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आय–व्यय संक्षेप में तैयार करना
10. औद्योगिक, खनिज, ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं ऊर्जा सांख्यिकी 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण, समाज कल्याण,औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
11. पूंजी निर्माण	1. छ.ग. राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
12. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण

	3. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन प्रकाषन
13. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण 2. प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही 3. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 4. जन्म- मृत्यु रजिट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 5. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण-प्रतिवेदन
14. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
15. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
16. कार्यक्रम कार्यान्वयन संभाग ● सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	 1. मासिक समीक्षा 2. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
● विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मुख्यालय स्तर पर प्रकरण तैयार कर शासन की ओर भेजना 2. विधान सभा क्षेत्रवार प्रतिवेदन संधारित करना 3. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना 4. बजट कटौती प्रस्ताव तैयार करना 5. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
● जनसहभागिता योजना	1. योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण
17. सूचना कें अधिकार	1. प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराना

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–1

विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी

समाज के कमजोर वर्ग के निवासियों की आर्थिक सहायता एवं इन्हें सम्मान पूर्वक जीवनयापन के अवसर सुलभ कराने, तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन का कार्यक्रम केन्द्र शासन द्वारा अभिज्ञापित परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित की जाती है ।

विभागीय संरचना

केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । राज्य स्तर पर इस हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है ।

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यक्रम के प्रारंभ (वर्ष 1975 में) में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था, जो आज भी जीवित है ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997
3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991
4. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

विभाग का सामान्य दायित्व

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवेदित प्रगति/उपलब्धियों का समसामयिक मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समितियों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना विभाग का सामान्य दायित्व है ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को आगामी माह की पॉच तारीख तक संप्रेषित किया जा रहा है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं-(राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है । कार्यक्रम की देख-रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है।

भाग-2

कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/ जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012-13 में 181.75 लाख रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष्य में दिसम्बर, 2011 तक लगभग 80 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

भाग-3 -निरंक

भाग-4-निरंक

भाग-5

अभिनव योजनाएँ

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :-

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. रोजगार सृजन-महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।
2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (एसजीएसवाई) ।
   (ख) एसजीएयवाई के अंतर्गत अ.जा.,अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता
3. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।

(ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई हैं ।

4. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण,

   (ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि

5. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)

   (i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं (iii) सुधारी गई अनियमितताएं

   (ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे

   (ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) लंबित अभियोजन केस

   (ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णीत अभियोजन केस

6. (क) खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई,
   एपीएल और बीपीएल के लिए

   (ख) खाद्य सुरक्षा - टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)

   (ग) खाद्य सुरक्षा - टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

   (घ) खाद्य सुरक्षा - टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

7. ग्रामीण आवास -इंदिरा आवास योजना

8. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,

9. (क) ग्रामीण क्षेत्र-एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)

   (ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत

10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11. संस्थानिक प्रसव,

12. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)

14. क्रियाशील आंगनबाड़ियां (संचयी)

15. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या

16. (क) वनरोपण- रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

   (ख) वनरोपण - रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)

17. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के

18. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई ।

19. पम्पसेटों को बिजली

20. विद्युत आपूर्ति

वार्षिक लक्ष्य 2012–13

केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

योजना/कार्यक्रम विवरण	भौतिक इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य
1	2	3
1. स्वरोजगार सहायता	हितग्राही संख्या	2791
2. स्व सहायता समूहों का गठन	समूह संख्या	5092
3. ग्रामीण आवास निर्माण	आवास संख्या	41511
4. नगरीय आवास निर्माण	आवास संख्या	11000
5. पेयजल सुविधा से वंचित बसाहटों के लिए पेयजल	वसाहट संख्या	5973
6. एकीकृत बाल विकास परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	220
7. ऑगनबाड़ी संचालन	ऑगनबाड़ी संख्या	58098
8. अनुसूचित जाति परिवार सहायता	हितग्राही संख्या	9284
9. शहरी गरीब परिवारों को सहायता	हितग्राही संख्या	16500
10. वृक्षारोपण–क्षेत्र अच्छादित	हेक्टर	78000
11. वृक्षारोपण–वृक्ष	वृक्ष संख्या	50700000
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	सड़क किलोमीटर	2370
13. राजीव गांधी विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	901
14. पम्प विद्युतीकरण	पम्प संख्या	20000

भाग–6
प्रकाशन

राज्य शासन द्वारा समेकित प्रतिवेदन के आधार पर समसामयिक समीक्षा की जाती है, तदनुरूप केन्द्र शासन द्वारा भी राज्य के परिपेक्ष्य में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित् किया जाता है ।

राज्य शासन अथवा संचालनालय द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रकाशन जारी नहीं किया जाता है ।

भाग–7 सारांश

निरंक

---**000**---